भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1720
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

झारसुगुड़ा जिले में कार्यशील इस्पात और सहायक संयंत्र

1720. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारसुगुड़ा जिले में कार्यशील इस्पात और सहायक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है, तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या जिले में इस्पात उद्योगों से संबंधित पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण विवाद और विस्थापन के मुद्दे सामने आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रभावित समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान झारसुगुडा में व्यय की गई सीएसआर निधि की राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिला में 22 इस्पात और सहायक संयंत्र हैं, जिनकी क्षमता लगभग 1 मिलियन टन (एमटी) स्पंज आयरन, 0.87 एमटी क्रूड स्टील, 0.6 एमटी पेलेट्स और 0.45 एमट री-रोलिंग की है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और कंपनियों/ इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित लागू स्थानीय नियमों का पालन करें।

कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों को संचालित करते समय अपनी व्यक्तिगत नीतियों का पालन करती हैं और मुख्य रूप से अपने प्रचालन स्थलों के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों और समुदायों को प्राथमिकता देती हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रत्यक्ष निष्पादन या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। प्रभावित समुदायों के लाभ के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र मौजूद हैं।

******